उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्याः01/2022/ 2578/1357297/12-2002/5/2021

लखनऊः दिनांकः 01 जनवरी, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष '4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागतऔर प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति'' में प्राविधानित कुल धनराशि रू. 26000.00 लाख के सापेक्ष रू. 170.00 करोड़ (एक अरब सत्तर करोड़ रूपये मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के रबी फसल में वितरित किये गये बीजों के सापेक्ष ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय।

4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नई मदों में नही किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

7. योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

8. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

10. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय.समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

13. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक,उत्तर प्रदेश का दायित्व होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

14. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक- 22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष '4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागतऔर प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति'' के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या: ई-1-3252-दस-2021-22, दिनॉक 24 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:01/2022/ 2578/1357297 (1)/12-2002/5/2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: एस0एफ0/1304.जी/4401-बजट/2021-22, दिनॉक 01 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल/यूपी.जीओवी.इन पर अपलोड किए जाने हेतु,

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in